

FORM NO III

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

2022/463

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज )

नारायण

बनाम

राज

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 312/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/6/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती नारायण

पिता श्री तारु जी गुजर

निवासी- नेतावलगाढ पाहली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम  
स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1204/553

कुल कीता 1 कुल रकबा 1.8850 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम नेतावलगाढ पाहली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1204/553

कुल कीता 1 रकबा 1.8850 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=00 रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(राजेश कुमार सिन्हा)  
उपखण्ड कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)